

(250)

न्यायालय श्रीमान् महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर(म0प्र0)

(पीरासीन बेंच रीवा (म0प्र0)

R. 5072-ट्रैकर /2015



Rs. 20/-

परशुराम शुक्ला तनय स्व0श्री माधव प्रसाद शुक्ला, उम्र वर्ष, पेशा—कृषि
निवासी—महदेवा, वार्ड नं0-30 नगर पालिक निगम सतना, तहसील
रघुराजनगर, जिला सतना,(म0प्र0) ————— निगराकार/आपत्तिकर्ता

बनाम

- 1:— रामबाई बढ़ई पत्नी स्व0श्री रामाधार बढ़ई, उम्र वर्ष, पेशा—कृषि,
निवासी महदेवा, वार्ड नं0-30 नगर पालिक निगम सतना, तहसील
रघुराजनगर, जिला सतना,(म0प्र0) ————— गैरनिगराकार/आवेदिका
- 2:— शासन म0प्र0 जरिए राजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मंडल
सोहावल, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना,(म0प्र0)

—गैरनिगराकार/अनावेदक

प्रकरण—अंतर्गत धारा—50का0मा0

विरुद्ध—सीमांकन रा0प्र0क्र0—42अ12 / 14-15 में श्रीमान्
राजस्व निरीक्षक महोदय मंडल सोहावल, तहसील
रघुराजनगर, जिला सतना, म0प्र0 द्वारा पारित आदेश
दिनांक—16.06.2015

मान्यवर,

निगराकार/आपत्तिकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी
प्रकरण प्रस्तुत कर अनुरोध है :—

गैरनिगराकार/आवेदिका ने आ0नं0-163, 164 / 1 / 1 रकवा
क्रमशः 0.101हे0, 1.12हे0 मौजा महदेवा, पटवारी हल्का महदेवा, तहसील

—2—

स्ट्री. वा.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र. 5072-II / 15

जिला—सतना

परशुराम शुक्ला / रामबाई बढ़ई

(1)

(2)

(3)

23.08.17

- प्रकरण प्रस्तुत।
- आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
- चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाके तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।

संक्षय